[निजी प्रसार के लिए]

अंक १७ नई दिल्ली, जुलाई २०११

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'अच्छी पुलिसिंग का अर्थ - कानून के प्रति सम्मान पैदा करना'

श्री भुपेन्द्र सिंह

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंव वर्तमान निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी श्री भुपेन्द्र सिंह से पुलिसिंग संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जीनत मलिक का साक्षात्कार।

प्रश्न : प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षण का उनकी गुणवत्ता के आधार पर आप किस प्रकार मूल्य निरूपण करेगें?

उत्तर : प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्य निरूपण का आधार उस स्तर के अधिकारी का अपने विहित दायित्वों के अनुसार दक्ष होना है। कॉन्स्टेबल स्तर के दायित्व भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी से भिन्न होते हैं। प्रत्येक को अपने–अपने दायित्व के अनुसार दक्ष होना चाहिए।

प्रश्न : राजस्थान में वर्तमान पाठ्यकम में कॉन्स्टेबल स्तर के पुलिस कर्मियों को क्या–क्या पढ़ाया जाता है? और प्रशिक्षण आमतौर पर कितने समय का होता है?

उत्तर : राजस्थान पुलिस का प्रयास पुलिस कॉन्स्टेबल को आधुनिक चुनौतियों के अनुसार दक्ष बनाना है। पुलिस कॉन्स्टेबलों को कानून की जानकारी के साथ ही अनुसंधान कौशल में निपुण बनाने के लिए उसे विधि विज्ञान एवं अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न जानकारी के अतिरिक्त भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार एवं कर्तव्य, विभिन्न पुलिस संगठनों के बारे में जानकारी, पुलिस का संरचनात्मक ढांचा, विभिन्न आयोगों के बारे में जानकारी, भीड़ व्यवहार, नैतिकता, सदाचार, आचरण नियम, पुलिस कॉन्स्टेबल के कर्तव्य से जुड़ी विभिन्न बातें, वी.आई.पी. सुरक्षा, आतंकवाद, पुलिस स्टेशन पर संधारित रिकार्ड, कम्प्यूटर, सोफ्ट स्किल, अंग्रेजी भाषा की जानकारी आदि सिखाये जाते हैं। कॉन्स्टेबल पुलिस में सर्वाधिक संख्या में हैं तथा पुलिस की आधारभूत कड़ी हैं। कॉन्स्टेबल का प्रशिक्षण ६ माह का होता है, जिसमें उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किये जाने पर पुलिस कार्य के लिए उपयुक्त बनाने का कार्य प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में ७००० पुलिस कर्मियों की भर्ती का कार्य चल रहा है। नव प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व के पाठ्यक्रम में संशोधन किये जा रहे हैं। पूर्व में जहां चार विषयों को पढ़ाया जाता था, अब उसमें कुछ नये विषय जोड़े जा रहे हैं।

प्रश्न : क्या इनके रिफ्रेशर प्रशिक्षण का भी कोई प्रावधान है? यदि हां तो कितने अन्तराल के बाद और किन विषयों पर?

उत्तर : कॉन्स्टेबल के रिफ्रेशर की व्यवस्था जिला स्तर पर और रेंज स्तर पर की जाती है। राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर इनके रिफ्रेशर की व्यवस्था प्रशिक्षण बैच नहीं चल रहा हो, तब ही की जाती है। इनके रिफ्रेशर के लिए कोई निश्चित् समयावधि तय नहीं है।

प्रश्न : क्या प्रशिक्षण के पूरे पाठ्यकम को बदलने और नये कानून के अनुसार दोहराये जाने का प्रावधान है?

उत्तर : प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को समय की मांग एवं पद के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर संशोधित किया जाता है। राजस्थान में सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है। बदलते हुए परिवेश में परम्परागत तरीकों की जानकारी मात्र से पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं कर सकता है। आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर क्राइम आदि की विभिन्न चुनौतियां आज पुलिस को मिल रही हैं। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न : हमारे पास कुछ बहुत अच्छे कानून, आदेश और दिशा निर्देश हैं इनके बारे में मुझे यह जानना है कि इन्हें थाना स्तर के अधिकारियों तक कैसे पहुँचाया जाता है?

उत्तर : थाना स्तर के अधिकारियों की जानकारी में वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। नवीनतम परिपत्र एवं आदेश पुलिस अधीक्षक एवं यूनिट हेड्स के माध्यम से अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों तक पहुँचाये जाते हैं।

प्रश्न : आपके अनुसार प्रशिक्षण में कमियां कहां हैं और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? क्या आपके विचार में सरकार प्रशिक्षण के बारे में गंभीर है? एक पुलिस कर्मी के प्रशिक्षण पर कितना खर्च आता है?

उत्तर : मैं यह मानता हूँ कि पुलिस प्रशिक्षण का कार्य विशेष रूप से दक्ष व्यक्तियों द्वारा ही दिया जाना चाहिये। वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण के लिए सबसे बडी चुनौति दक्ष प्रशिक्षकों का चयन है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयनित होने वालों में से ही पदस्थापन किया जाना चाहिये। कुछ अधिकारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते प्रशिक्षण संस्थानों में अपना पदस्थापन करवा लेते हैं। इस प्रकार के अधिकारी प्रशिक्षण में रूचि नहीं ले पाते हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। आज का युग दक्षता का युग है। हर कोई व्यक्ति हर कोई काम करता है तो उसमें गुणवत्ता नहीं रह पाती है। विशेषज्ञ एवं दक्ष लोगों का चयन किये जाने के साथ ही पुलिस प्रशिक्षण में पदस्थापन को अतिरिक्त भत्तों के द्वारा आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षक अधिक रूचि लेकर कार्य करें। स्वयं को साबित करने की परिस्थिति हर समय रहनी चाहिए। राज्य सरकार की मंशा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की है। सुधार संबंधी प्रस्तावों पर राज्य सरकार का रवैया सकारात्मक ही रहता है। एक कॉन्स्टेबल का प्रशिक्षण पर लगभग ४५,०००/- रूपये खर्चा आता है। प्रशिक्षुओं के अनुपात में ही सुविधायें, प्रशिक्षक, स्टाफ एवं अन्य साजो सामान की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : केन्द्र द्वारा दिये जा रहे आधुनिकीकरण अनुदान का एक भाग प्रशिक्षण के लिए भी होता है, हालांकि अवसंरचना पर अधिक बल दिया जाता है। क्या आपके विचार में इस ओर उतना ध्यान दिया जा रहा है, जितनी आवश्यकता है?

उत्तर : केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे आधुनिकीकरण के अनुदान के फलस्वरूप ही प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार संभव है। मेरी राय में प्रशिक्षण के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की जानी चाहिऐ।

प्रश्न : अधिकतर पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अच्छी पुलिसिंग में मानव अधिकार बाधक होते हैं? इस अवधारणा पर आपके विचार क्या हैं?

उत्तर : मानव अधिकार और अच्छी पुलिसिंग में कोई टकराव नहीं है अपितु दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अच्छी पुलिसिंग का मतलब संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार कर रिकवरी करना या बलपूर्वक किसी आदेश को मनवाना नहीं अपितु लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनमें कानून के प्रति सम्मान पैदा करना है। मानवाधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। मानवाधिकारों की रक्षा कर पुलिस उनके विकास में भागीदार बन सकती है। मानवाधिकारों की रक्षा से पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच में विकास होगा तथा जनता एवं पुलिस के बीच प्रगाढ़ रिश्तों की शुरूआत होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण होने पर ही पुलिस को जनता से वांछित सहयोग प्राप्त होगा।

प्रश्न : आपके अनुसार मानव अधिकारों की सुरक्षा में पुलिस की क्या भूमिका है? राजस्थान पुलिस द्वारा प्रशिक्षण में मानव अधिकारों पर कितना बल दिया जाता है?

उत्तर : मानव अधिकारों की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस पर मानव अधिकार विरोधी होने की तोहमत लगायी जाती है। पुराने समय में अपराध खोलने के लिए पुलिस द्वारा कई बार बर्बर तरीके काम में लिये जाते थे। इससे निर्दोष संदिग्ध लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ता था। आधुनिक समय में पुलिस में मानवाधिकारों के प्रति जागृति आई है। अब पुराने तोर तरीकों को छोड़ा जा रहा है। अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीके अपनाये जाने लगे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस बल में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मानव अधिकार विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। यह आयोजन पहले जिला/यूनिट स्तर पर किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तर का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी में करवाया जाता है। मानवाधिकारों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है तथा पहले जहां मानवाधिकारों के विरोध में

(शेष पृष्ठ २ पर)....

संविधान बनाम अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार

हमने पिछले अंक में मानव अधिकार के अंतरराष्ट्रीय मानकों का अपने देश के कानूनों में समावेश को एक टेबल द्वारा प्रस्तूत करके समझाने की बात कही थी। यह इस प्रकार है:–

संविधान बनाम अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानक

	मौलिक अधिकार(एफ.आर.)	मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यू.डी.एच.आर.)	सिवल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई.सी.सी.पी.आर.)	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई.सी.ई.एस.सी.आर.)	राज्य की नीति निदेशक तत्व (डी.पी.एस.पी.)
१	अनुच्छेद १६(१)(क) भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद १६ विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद १६(२) विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार		
२	अनुच्छेद १६(१)(ख) हथियारों के बग़ैर शांति से इकट्ठा होने का अधिकार	अनुच्छेद २० शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद २१ शांतिपूर्ण सभा का अधिकार		
३	अनुच्छेद १६(१)(ग) संघ या समिति बनाने का अधिकार	अनुच्छेद २० समिति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद २३ मज़दूर संघ बनाने और उससे जुड़ने का अधिकार अनुच्छेद १३ गतिविधियों की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद २२ समिति की स्वतंत्रता का अधिकार,	अनुच्छेद ६(१) स्वतंत्रता पूर्वक काम चुनने का अधिकार	अनुच्छेद ४३(क) राज्य को कानून बनाकर, उद्योग के मैनेजमेंट में मज़दूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा
४	अनुच्छेद १६(१)(घ) भारत के किसी भी क्षेत्र में आज़ादी से घूमने का अधिकार	अनुच्छेद १३ घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद १२ घूमने की आज़ादी का अधिकार		
५	अनुच्छेद १६(१)(ड़) देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार	अनुच्छेद १३ बसने की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद १२(१) अपनी रिहाईश चुनने की स्वतंत्रता		
६	अनुच्छेद २०(१) अपूर्वव्यापी दण्ड	अनुच्छेद ११(२) अपूर्वव्यापी कानून	अनुच्छेद १५(१) अपुर्वव्यापी कानून		
७	अनुच्छेद २०(२) दोहरी सज़ा पर रोक		अनुच्छेद १४(७) दोहरी सज़ा पर रोक		
८	अनुच्छेद २०(३) स्वंय दोषारोपण के विरूद्ध अधिकार		अनुच्छेद १४(३)(ज) स्वंय दोषारोपण के विरूद्ध अधिकार		
६	अनुच्छेद २१ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद ३ जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद ६(१)जीवन का अधिकार अनुच्छेद ६(१)स्वतंत्रता का अधिकार		
१०	अनुच्छेद २१(क) मुफ़्त व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद २६(१) शिक्षा का अधिकार		अनुच्छेद १३(१) शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद १३(२) मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद ४१ विशेष परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद ४५ राज्य प्रारंभिक बालपन में देखरेख व ६ वर्ष तक शिक्षा प्रदान करेगी
११	अनुच्छेद २२(१) गिरफ़्तारी के कारणों की जानकारी मिलने, अपनी पसंद के वकील से संपर्क करने तथा बचाव का अधिकार	अनुच्छेद ६ मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और कैद से स्वतंत्रता	अनुच्छेद ६(१)(२) मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और कैद से स्वतंत्रता तथा गिरफ़्तारी के कारणों की जानकारी मिलने का अधिकार		
१२	अनुच्छेद २२(२) गिरफ़्तारी के २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अधिकार		अनुच्छेद ६(३) जज के सामने तुरंत लाये जाने का अधिकार		
१३	अनुच्छेद २३ अनैतिक व्यापार और जबरन मजदूरी पर रोक	अनुच्छेद ४ दासत्व से स्वतंत्रता अनुच्छेद २३(१) अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने की आज़ादी का अधिकार	अनुच्छेद ८(१)(२)(३) दासत्व व जबरन मज़दूरी से स्वतंत्रता और दास व्यापार पर रोक	अनुच्छेद ८(१) मज़दूर संघ बनाने का अधिकार	टनुच्छेद ४६ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति व कमज़ोर वर्गों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी

(शेष अगले अंक में)....

....(पृष्ठ १ का शेष)

बोलने वालों की संख्या अधिक थी, आज विषय के पक्ष में बोलने वाले वक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे लोगों के नजरिये में आया बदलाव स्पष्ट झलकता है। मानवाधिकार विषय प्रत्येक स्तर के पुलिस प्रशिक्षण में जोड़ा गया है। मानवाधिकारों पर वर्ष में एक–दो बार विशेष कार्यशाला आयोजित करवायी जाती है। अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को और स्टाफ के सदस्यों को उक्त कार्यशाला में शामिल किया जाता है। यह सब प्रयास पुलिस में मानवाधिकारों के प्रति संवेदना और सम्मान पैदा करने के लिए किया जा रहा है।

प्रश्न : निचले स्तर पर पुलिस कर्मियों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनके पास अत्यधिक काम है, अवसंरचना की कमी है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयेाग नहीं है इसलिए कई बार उन्हें कानूनों का उल्लंघन करना पड़ता है। आप अपने अधिनस्थ अधिकारियों को क्या सलाह देगें?

उत्तर : यह सच है कि निचले स्तर पर पुलिस कर्मियों के पास अत्यधिक काम है और अवसंरचना की भी कमी है। जहां तक पुलिस अधिकारियों के अधिनस्थों से सहयोग का सवाल है तो यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अधिकांश पुलिस अधिकारी अधिनस्थों से सहयोग करते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। कार्य अधिकता के कारण कई बार अवकाश आदि में अधिनस्थों को मनाही की जाती है, जो शायद अधिनस्थों को अच्छी नहीं लगती। मैं सभी पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहूँगा कि उन्हें कानून सम्मत कार्य ही करना चाहिए। कोई भी दबाव की स्थिति कानून के उल्लंघन का बचाव नहीं है।

प्रश्न : आपके अनुसार थाना स्तर के पुलिस कर्मियों की गुणवत्ता क्या संतोषजनक हे? और थानाध्यक्षों को अपने अधिनस्थों द्वारा बेहतर प्रदर्शन के लिए कैसा पर्यवेक्षण प्रदान करना चाहिए?

उत्तर : थाना स्तर पर कार्य अधिक होने के कारण पर्यवेक्षण में कठिनाई है। पुलिस का कार्य प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। इस सम्बंध में अध्ययन किया जाकर प्रबंधन कौशल में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। मैं यह भी मानता हूँ कि सबसे अच्छा पर्यवेक्षण थानाधिकारी का स्वयं का आचरण होता है। वह हमेशा अधिनस्थों द्वारा ध्यान से देखा जाता है। जैसा थानाधिकारी होता है, वैसा ही थाने पर काम होता है। अतः प्रत्येक थानाधिकारी को बेहतर प्रदर्शन कर अधिनस्थों के सामने मिसाल कायम करनी चाहिए। वैसे भी नेतृत्व करने वाले के प्रति सम्मान उसकी स्वयं की काबलियत एवं चरित्र की उत्कृष्ठता के कारण ही संभव हो सकता है। सम्मान कभी भी मांगा नहीं जा सकता, यह हमेशा अर्जित किया जाता है।

प्रश्न : पुलिस सुधार में समय की मांग है, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वर्तमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इसके लिए कोई विशेष अध्याय रखा गया है?

उत्तर : पुलिस जनता के लिए है इसलिए जनता में पुलिस की खराब छवि से बेहद नुकसान होता है। पुलिस को जनता के सहयोग की आवश्यकता रहती है। पुलिस की खराब छवि के चलते जनता से सहयोग मिलना लगभग असंभव है। पुलिस पाठ्यक्रम में सभी स्तरों पर पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए जोर दिया जाता है तथा इन्हें निमित्त नैतिकता, सदाचार, आचरण नियमों की जानकारी दी जाती है। पुलिस कर्मियों को भीड़ व्यवहार, मृदुकौशल, तनाव प्रबन्धन एवं नेतृत्व विकास के लिए पुलिस पाठ्यक्रम के अलावा भी कार्यशालायें/सेमीनार आदि के माध्यम से निरन्तर प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रश्न : राजस्थान में ***लोक पुलिस*** पत्रिका के प्रसार पद्धति के बारे में बतायें तथा इसे और अधिक ज्ञानवर्धक और पुलिस कर्मियों के लिए उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?

उत्तर : ***लोक पुलिस*** पत्रिका राजस्थान पुलिस अकादमी के माध्यम से अकादमी के न्यूज लेटर के साथ विभिन्न थानों पर भिजवाई जाती है। इस अखबार के लिए मेरा यह सुझाव है कि इसमें कुछ स्थायी स्तम्भ विधि, पुलिस स्वास्थ्य, पुलिस उपलब्धियां और केस स्टडीज़ के रूप में शामिल किये जा सकते हैं। इसके कवर को ओर आकर्षक बनाकर रंगीन चित्रों, रोचक समाचार एवं सामग्री के साथ इसे प्रस्तुत करने से इसके प्रसार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मैं ***लोक पुलिस*** पत्रिका के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

क्या आप जानते हैं?

आई.एस.ओ. प्रमाणिकरण से बेहतर पुलिसिंग

राजस्थान के कुछ थानों में बेहतर पुलिसिंग के लिए आई.एस.ओ. (इंटरनेशनेल ऑर्गनाईज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाईज़ेशन) प्रमाणिकरण का उपयोग किया गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस में थाना स्तर पर, बेहतर सर्विस डिलिवरी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

आई.एस.ओ. प्रमाणिकरण क्या है?

आई.एस.ओ., राष्ट्रीय स्तरीकरण निकायों का एक अंतरराष्ट्रीय मंडल है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्वीटज़रलैंड में है। इसने १९४७ से अब तक १८५०० मानक प्रकाशित किये हैं। आई.एस.ओ., संस्थाओं द्वारा आवश्यकता बतलाने पर उनके लिए मानक तैयार करती है, और इसके बाद यह सुनिश्चित करती है कि उनका संपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। फिर मान्यता–प्राप्त प्रमाणिकरण निकाय, एक फीस लेकर संस्थाओं का लेखा परीक्षण करती है और फिर उन्हें प्रमाण पत्र देती है। भारत में नेशनल ऐक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी (एन.ए.बी.सी.बी.) ऐसी ही मान्यता प्राप्त निकाय है।

थानों के लिए आई.एस.ओ. प्रमाणिकरण क्यों आवश्यक है?

थाना पुलिस बल की सबसे पहली और मुख्य ईकाई है जहां जनता को ख़ास तौर पर जो परेशान हैं, उन्हें सेवा की अपेक्षा और आवश्यकता होती है। लेकिन माना जाता है कि पुलिस काम को मनमानी ढंग से करती है और इस कारण लोगों को अपेक्षित सेवाएं नहीं मिल पाती। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नए मानकों की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए आई.एस.ओ. द्वारा निर्धारित नई परिचालन प्रक्रिया मानकों(एस.ओ.पी.) और निर्देशों को अपनाने पर विचार करके इसका पालन किया गया।

प्रमाणिकरण की प्रक्रिया और मानक क्या हैं?

२००५ में जयपूर के विधायकपुरी थाना ने सबसे पहले आई.एस.ओ. प्रमाणिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद राजस्थान में ४१ थानों ने अब तक आई.एस.ओ. प्रमाण प्राप्त कर लिया है। इसके लिए पुलिसिंग संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए एस.ओ.पी. और निर्देशों को बनाया गया तथा विभिन्न कदम उठाये गये। जैसेः–

- सभी पुलिसकर्मियों की भूमिका और ज़िम्मेदारियां परिभाषित करना।
- लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए समय सीमा तय करना।
- एफ.आई.आर.दर्ज कराने के लिए पहले पृष्ठ के लिए ३० मिनट और अगले हर पृष्ठ के लिए १५ मिनट का समय रखा गया,
- अपराध स्थल पर पहुंचने की समय सीमा तय की गई जिसमें एक किलो मीटर की दूरी के लिए २० मिनट और ५ मिनट हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रखा गया।
- पासपोर्ट, आचरण, हथियार लाईसेंस के सत्यापन की अवधि १५ दिन तय की गई।
- जन रैली और सभाओं की आज्ञा देने के लिए इंक्वायरी का समय ७ दिन रखा गया।
- घोषित नीतियों और लक्ष्यों का जन प्रदर्शन किया गया।
- जानकारी डेस्क की स्थापना।
- महिला डेस्क की स्थापना।
- रसीद देने की व्यवस्था की शुरूआत की गई।

आई.एस.ओ. प्रमाणिकरण के प्रभाव

आंतरिक निरीक्षण और बाहरी लेखा–परीक्षण का अच्छा परिणाम रहा और इससे सर्विस डिलिवरी में साकारात्मक प्रभाव पड़ा। शिकायतों की रसीद दी जाले लगी है। अपराध के स्थान पर पहुंचने में तीव्रता आई है।

- पेंडिंग केसों की संख्या में ५० % की कमी आई है।
- सम्मन व वारंट की सर्विस में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है– सम्मनः ५% – २०%, ज़मानती वारंटः १२% – १५%, गिरफ़्तारी वारंटः १०%–१२%, संपत्ति की कुड़की वारंटः १०%–२१%,
- ६०% तफ़्तीश निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की जा रही है।
- १००% पासपोर्ट, हथियार लाईसेंस और आचरण का सत्यापन १५ दिनों में पूरा हो रहा है। पहले इनमें महीनों लग जाया करते थे,
- मालखाना प्रबंघन में भी सुधार हुआ है। इसके व्ययन में २०% की बढ़ोतरी हुई है।
- आई.एस.ओ. थानों और इनके बैरकों में सफ़ाई रहती है और फाईलें, किताबें, आदि अपनी जगह पर सुव्यवस्थित रखी नज़र आती हैं।
- पुलिस स्टाफ़ के रूझानों में संतुष्टि और संतुलन झलकता है।
- बाहरी संस्थाओं और लोगों से पुलिस कार्यों के लिए प्रशंसा भी मिली है।

"अगर किसी को रूझान और बर्ताव में बदलाव का शक्तिशाली प्रभाव देखना हो तो उसे इस थाने को अवश्य ही देखना चाहिए। ..... अगर सभी या अधिकतर पुलिस वाले इस उदाहरण को अपना लें तो, पुलिस को अपनी छवि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।" पी.सी.शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।

आशा है, दूसरे राज्यों में भी ऐसी कोशिशें की जाएंगी और अधिक से अधिक थानों द्वारा आई.एस.ओ. प्रमाण हासिल किया जा सकेगा। लेकिन, इस प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए कहीं न कहीं सरकारों और पुलिस को उच्च स्तर पर प्रयत्न करना होगा। साथ ही आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणिकारण की उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और थाना स्तर के पुलिसकर्मियों में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। इस प्रमाणिकारण के बाद भी थानों की सर्विस डिलीवरी को स्थापित मानकों के आधार पर निरीक्षण करने का प्रावधान भी, प्रमाणिकरण के समय ही बनाया जाना चाहिए ताकि इसे समान रूप में हमेशा कायम रखा जा सके।

सुरागरसी, दबिश

बीट में घटित अपराधों में अपराधी एवं माल जो चोरी अथवा लूटा गया हो, के बारे में तलाश करनी होती है। अभियुक्त एवं सम्पत्ति का पता लगाने का कार्य ही पुलिस विभाग में सुरागरसी, पतारसी के नाम से जाना जाता है।

सुरागरसी कैसे करें?

(१) बीट पुलिसकर्मी के पास विभिन्न प्रकार के सक्रिय अपराधियों की सूची होनी चाहिए।
(२) उन लोगों के नाम पते होने चाहिए जो चोरी का सामान खरीदते बेचते हैं।
(३) बीट पुलिसकर्मी के पास सूचना के स्रोतों का नैटवर्क होना चाहिये।
(४) संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों का सत्यापन होना चाहिए।
(५) बीट में नये संदिग्ध व्यक्तियों के आने के बारे में जानकारी हो जाय ऐसे सम्पर्क सूत्र होने चाहिये।
(६) बीट में होटल, ढाबे, शराब की दुकानों, पार्कों व अन्य ऐसे स्थानों पर निरन्तर निगाह रखनी चाहिए, जहॉ पर बाहरी व्यक्तियों, का आना जाना रहता है।
(७) बीट में यह भी मालूम करें कि किस मकान में कौन लोग बाहर से आकर रह रहे हैं यदि संदेह हो तो पूछताछ करें। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का सत्यापन करायें।

दबिश

छबिश का अर्थ "Raid" से है, जो सुरागरसी या अन्य स्रोंतो से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी अपराध से सम्बन्धित अपराधी की गिरफ्तारी या माल की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा किसी भवन या स्थान पर की जाती है। संदिग्ध स्थानों पर अथवा मुखबिर द्वारा किसी स्थान के बारे में बताए जाने है, आम तौर पर दबिश दी जाती है:–
(१) पुलिस कर्मी को जिस स्थान पर दबिश दी जानी है, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति व वहाँ पर रहने वाले लोगो के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
(२) दबिश अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु की जानी है या माल की बरामदगी हेतु या दोनों के लिए इस बात की पहले से स्पष्ट जानकारी होनी आवश्यक है।
(३) पुलिसकर्मी को अपने उच्चाधिकारी, जो दबिश के लिए गया है, उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए।
(४) सूझ–बूझ से कार्य करना चाहिए।
(५) यदि उस स्थान के बारे में कोई अन्य सूचना उसे मिले तो अपने उच्चाधिकारी को, जो उसके साथ दबिश में है, उसे बतानी चाहिए।
(६) दबिश देने के पश्चात् यदि अपराधी गिरफ्तार हो जाय या माल बरामद हो जाय तो साथ मे गये पुलिस अधिकारी का पूर्ण सहयोग करना चाहिए।
(७) अपराधी एवं माल को थाना लाने में पूर्ण सहयोग दें।
(सौजन्यः उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा सभी स्तर पर पुलिसकर्मियों को उपयोग के लिए दी जाने वाली पुस्तिका के कुछ अंश)

आपके विचार

महोदय,

मैं लोक पुलिस के विषय–वस्तु व स्वरूप के बारे में अपनी राय देना चाहता हुं। मेरे विचार में इसमें पुलिस से संबंधित बड़े समारोहों की ख़बर भी चित्र के साथ छपनी चाहिए। इससे लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और साथ ही इसके स्वरूप में विविधता लाने की आवश्यकता है।

श्री जगदीश पूनियाँ
उप अधिक्षक पुलिस,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
राजस्थान

संपादक महोदय,

लोक पुलिस पत्रिका का मई का अंक देखने को मिला। इसमें 'क्या आप जानते हैं?' स्तंभ के अंतर्गत जो पुलिस के दायित्व हैं, उसकी जानकारी लाभप्रद लगी। हम अपने काम में लिप्त होकर कई बार अपने उचित दायित्वों और भूमिका से भटक जाते हैं। आशा है इस स्तंभ से कुछ और नई जानकारियां प्राप्त होंगी।

धन्यवाद!

हर्ष त्यागी
कांस्टेबल, बिहार पुलिस

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

मुंबई पुलिस-सबकी पुलिस पर किसकी सुरक्षा?

२००७-२०१० के बीच, मुंबई में पुलिसकर्मियों की वी.आई.पी. सुरक्षा ड्यूटी तकरीबन ३४० प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। १.३ करोड़ आबादी वाले इस महानगर में केवल ४४,००० पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं जोकि अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफ़ी कम है। २००७ में जहां २,२१३ वी.आई.पी.सुरक्षा बंदोबस्त करनी पड़ी थी वहीं २०१० में ६,७३५ बंदोबस्त करनी पड़ी। ऐसी व्यवस्था में, समूचे पुलिस बल का एक भाग लगा दिया जाता है। आम जनता को इससे दोहरा नुकसान पहुंचता है। एक ओर, बंदोबस्त के समय संख्या में कम होने के कारण आम जनता की सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जाता है तो दूसरी ओर जब पुलिस अधिकारी इससे वापस अपने जांच के काम पर लगते हैं तो सबूतों की कड़ी कमज़ोर पड़ चुकी होती है।

यहां, एक कांस्टेबल साल में औसत रूप से ३०-४० बंदोबस्त ड्यूटी करता है। आमतौर पर एक बंदोबस्त ड्यूटी में पुलिसकर्मी का पूरा दिन समाप्त हो जाता है। कभी आगन्तुक वी.आई.पी. के देर रात में आगमन के कारण तो कभी निर्धारित समय से २-३ घंटे देर से पहुंचने के कारण। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 'जब हम अपने नियमित कानून लागू करने के काम पर लौटते हैं तो उन केसों का ट्रैक गुम हो चुका होता है जिनकी हम जांच कर रहे थे। अकसर किसी और को केस दे दिया जाता है। हमें पूरी घटना उन्हें समझानी पड़ती है और यह बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया है। इसके बावजूद अनियमितता के कारण जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।'

इतना ही नहीं, बड़े लोगों को स्थायी एंव व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान कराने में भी पुलिस का बहुत समय खर्च हो जाता है। उदाहरण के तौर पर २०१० में, २१२ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ३६७ पुलिसकर्मियों को लगाया गया था।

कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि देसी या विदेशी नेताओं और बड़े लोगों की सुरक्षा ड्यूटी भी पुलिस का एक मुख्य दायित्व है। इसलिए, पुलिस के पास सुरक्षा प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में जहां पुलिस भर्ती को तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है वहीं दूसरा रास्ता यह भी है कि जांच के लिए पुलिस का अलग युनिट बनाया जाए और कानून लागू करने वाली युनिट को अलग कर दिया जाए। केवल कानून लागू करने वाले दस्ते को ही बंदोबस्त ड्यूटी पर लगाया जाए। अगर इस अलगाव का कठोरता से पालन किया जाए तो कम से कम जांच पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही लगातार भर्ती करने से मानव संसाधन की कमी भी दूर हो सकेगी।

जांच और कानून लागू करने के लिए अलग पुलिस युनिट की परिकल्पना नई नहीं है। सरकारों को यह समझना होगा कि इस अलगाव के अलावा कानून–व्यवस्था को ठीक से लागू कर पाना और पीड़ितों का न्याय दिलाना असंभव है।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १४ जून २०११)

शारीरिक योग्यता जांच की विडीयो रिकॉर्डिंग

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भुपेंन्द्र सिंह हुदा ने पुलिस भर्ती के दौरान की जाने वाली शारीरिक योग्यता जांच की विडीओ रिकॉर्डिंग करने को अनिवार्य करने की घोषणा की है। इससे भर्ती में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का निरीक्षण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक मिटींग में, १०० नंबर पर आने वाली फ़ोन को शिष्टता पुर्ण तरीके से उत्तर करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों को ही नियुक्त करने को कहा।

हरियाणा पुलिस, सुधार की ओर धीरे–धीरे अग्रसर होती प्रतीत हो रही है। अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रदेश पुलिस को लगातार तत्पर रहकर हर क्षेत्र में काम करना होगा चाहे वह भर्ती हो, प्रशिक्षण हो या फिर पुलिस के दूसरे दायित्वों का निर्वाह।

(सौजन्यः हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम, १५ जून २०११)

२० लाख की आबादी पर केवल ३३३ महिला पुलिसकर्मी

मिलेनियम सिटी, गुड़गांव में यहां की आधी आबादी जोकि तकरीबन १० लाख होगी, से संबंधित मामलों को सुनने के लिए केवल ३३३ महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां महिलाएं दिन हो या रात काम के लिए आती जाती रहती हैं। इसके आस–पास महिलाओं से संबंधित छोटे–बड़े अपराध होते रहते हैं। लेकिन, महिलाएं हल्की छेड़खानी जैसे मामलों की शिकायत केवल इस कारण नहीं दर्ज करातीं कि पुरूष पुलिसकर्मियों के उचित अनुचित सवालों का जवाब देने से अच्छा है कि चुप ही रहा जाए। इससे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और वे आगे बढ़कर अपहरण और बलात्कार जैसी वारदात भी कर देते हैं।

हाल ही में गुड़गांव पुलिस को एक महिला ने कापसहेड़ा बॉर्डर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए चेकिंग के समय रात के तीन बजे पुरूष पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत मिली। ऐसे मामलों में शिकायत सुनने वाला भी पुरूष हो तो शिकायतकर्ता की स्थिति विचित्र हो जाती है।

गुड़गांव में सभी स्तर की महिला पुलिसकर्मियों को मिलाकर केवल ३३३ महिलाएं हैं जिनमें से कई प्रशिक्षण के लिए गई हैं। जो महिलाएं हैं उपलब्ध हैं वह भी परिवार की देख रेख के लिए रात्री ड्यूटी नहीं कर पातीं। ऐसे में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के अलावा क्या कोई दूसरा विकल्प मौजूद है? अगर महिलाओं की संख्या अधिक होगी तो उन्हें शिफ़्ट में रात्री ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं रात्री ड्यूटी करती ही नहीं हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां शिफ़्ट में काम होता है और महिलाएं भी रात में काम करती हैं। अगर इनकी संख्या अधिक होगी तो जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके परिवार में कोई विपरीत परिस्थिति है, उन्हें केवल दिन में ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ऐसे में सहजता के साथ आम महिलाओं का विश्वास भी पुलिस पर बढ़ेगा और महिला पुलिकमियों को भी काम करने में परेशानी नहीं होगी।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १६ जून २०११)

प्रथम महिला थाना प्रभारी

संघ राज्यों की पुलिस के इतिहास में पहली बार एक महिला को चंडीगढ़ के सेक्टर ३ थाने का प्रभारी बनाया गया है। श्रीमति पूनम दिलवारी ने ३० जून से थानाप्रभारी का कार्य–भार संभाल लिया। श्रीमति दिलवारी शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के अलावा यहां के अति महत्वपूर्ण भाग में अपराधों की जांच का दायित्व भी निभाएंगी।

श्रीमति दिलवारी ने पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर आई थीं और अपनी मेहनत से २१ वर्ष की सेवा के बाद उन्होंने थाना प्रभारी का पद हासिल किया। पिछले साल उन्हें इस संघ राज्य की पहली महिला पी.आर.ओ. का पद भी मिला था। इसके अलावा, दिसम्बर २०१० में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिये चयनित तीन महिला निरीक्षकों में से एक वह भी हैं।

आज हमारे पास कई उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि अगर महिला पुलिस अधिकारियों को ज़िम्मेदारी दी जाए तो निश्चित रूप से वे स्वंय को सिद्ध कर सकेंगी। पुलिस बल में कर्मठ महिलाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो लिंग भेदी नीतियों से हटकर तथा प्रतीभाशाली अधिकारियों को पहचान कर विश्वास से ज़िम्मेदारियां सौंपने की। इससे पुलिस के काम में संतुलन और मानवता परदर्शित होगा।

(सौजन्यः ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम, ३० जून २०११)

कांस्टेबल का अंध-विश्वास

चंडीगढ़ में एक कांस्टेबल ने अपने अंध विश्वास के कारण सुबह के समय, एक शिकायतकर्ता को यह कह कर वापस भेज दिया कि वह दोपहर को आए तभी कार्यवाही करेगा वरना सारा दिन उसे ऐसी ही शिकायतों को सुनना पड़ेगा। दरअसल, यह शिकायतकर्ता सुबह के समय अपने रिश्तेदार और कार्यरत लेफ़्टिनेंट कर्नल आर.के. सैनी का मोबाईल चोरी होने की शिकायत लिखवाने गए थे। वे अस्पताल में भर्ती थे और उनके बेड से ही मोबाईल चोरी हो गया था।

लेकिन बाद में इसकी कार्यवाही तभी हो पाई जब इस बात की जानकारी सब इंस्पेक्टर ईरम रिज़वी को हुई।

समय–समय पर ऐसे व्यक्तिगत अंधविश्वासों के उदाहरण सुनने को मिलते रहते हैं। इस कारण आम जनता का समय नष्ट होता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस सेवा में व्यक्तिगत विश्वासों और विचारों की कोई मान्यता नहीं। इसलिए, पुलिस को अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वाह करना चाहिए।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ८ जूलाई २०११)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org